(47)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3380-एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29/9/15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 61/अ-59/2000-01.

ज्ञानस्वरूप आहूजा
निवासी श्री प्रेमदत्त आहूजा
निवासी ओम भवन, राइट टाउन, जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2- श्री आर. पी. कनौजिया
निवासी ग्राम तिलहारी,
तहसील एवं जिला जबलपुर

3- श्री भूषण आहूजा,
निवासी स्व. श्री प्रेम दत्त आहूजा
निवासी आई-बी, गिर्राज-11, मुम्बई महाराष्ट्र

4- श्री ओम प्रकाश आहूजा,
निवासी प्रेमदत्त आहूजा,
निवासी बागड़गंज, हरिहर मंदिर के पास,
नागपुर महाराष्ट्र ---- अनावेदकगण

श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री आर.पी.कनौजिया, अनावेदक क्रमांक-2 स्वयं.
श्री गोविन्द श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 3.
श्री राकेश सागर, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 4.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5 - 2 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक

61//अ-59/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 29-9-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम तिलहरी स्थित कोटवारी भूमि खसरा नं. 132, 133, 133/2 कुल रकबा 2.343 हैक्टर मृतक परमानंद आत्मज मठोला के नाम दर्ज रही तथा इस भूमि के पास ही आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 4 की निजी भूमि खसरा नं. 211/2, 204/2, 205/3 कुल रकबा 2.428 हैक्टर दर्ज रही । इन दोनों पक्षकारों द्वारा भूमि की अदला बदली का आवेदन दिनांक 15/12/1985 को कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार, अनुविभगीय अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त करके आदेश दिनांक 24/6/1986 को अदला बदली का आदेश पारित किया । इस आदेश के संबंध में अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा एक शिकायत कमिश्नर को दिनांक 16/12/86 को प्रस्तुत की गई, जिसमें समस्त कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया गया । प्रकरण आयुक्त द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया और आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 एवं 4 को नोटिस जारी किया गया । इसके पश्चात प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मठोला आत्मज हल्कू महरा, परमानंद का पिता था । मठोला पूर्व मालगुजार के समय कोटवार था तथा मालगुजारी प्रथा के अनुसार वह ग्राम कोटवार था जो कि ग्राम समुदाय की सेवा करता था । इसी सेवा के बदले में उसे उपरोक्त भूमि तत्कालीन मालगुजार के द्वारा प्रदान की गई थी उसे भूमि का कब्जा भी दिया गया था । वर्ष 1909 में तत्कालीन मालगुजार ब्यौहार रघुवीरसिंह के द्वारा उपरोकत भूमि ग्राम समुदाय की सेवा के बदले दी गई थी । मिसल खसरा वर्ष 1909-10 में वादग्रस्त भूमि मठोला के नाम दर्ज रही तथा कॉलम नं. 6 में माफी खिदमती के रूप में उसका हक दर्ज रहा । मिसल बंदोवस्त वर्ष 1909-10 में भी मठोला का नाम दर्ज रहा है तथा खिदमती दर्ज है । वर्ष 1954 में उक्त भूमि परमानंद के नाम दर्ज रही । तत्पश्चात खसरा पांच साला में परमानंद वल्द मठोला को बतौर भूमिस्वामी के रूप में दिखाया गया है । उनका यह

भी तर्क है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत राजस्व के अभिलेखों में कहीं भी मठोला तत्पश्चात परमानंद के स्वामित्व एवं कब्जे की उपरोक्त भूमि को शासन की भूमि या शासन के द्वारा कोटवारी भूमि के रूप में दी गई हो ऐसा दर्ज नहीं है । इन तर्कों के आधार पर उनका तर्क है कि मालगुजार के द्वारा मठोला या परमानंद से भूमि का कब्जा नहीं लिया गया और न ही मालगुजार उपरोक्त भूमि में काबिज रहा । अतः मालगुजारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के प्रभावशील होने पर उक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से लागू हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 185 के तहत परमानंद एवं मठोला को मौरूसी कृषक का हक प्राप्त हो गया है तथा मौरूसी कृषक के हक प्राप्त होकर भूमि स्वामी के हक प्राप्त हो गये । अतः परमानंद उपरोक्त भूमि का भूमिस्वामी एवं काबिज होने के आधार पर अपनी उपरोक्त भूमि की आवेदक एवं अन्य की भूमि से अदला-बदली करने हेतु वैधानिक रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र था ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि का दर्जशुदा भूमि-स्वामी एवं काबिज रहा है तथा उसे भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी उनके नाम पर विधिवत रूप से जारी की गई । अतः आवेदक एवं अन्य भी अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि को परमानंद के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि को अदला-बदली करने में वैधानिक रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र थे । उनका यह भी तर्क है कि दोनों भूमियां एक ही ग्राम में तथा आसपास में स्थित हैं दोनों भूमियां एक ही प्रकार की हैं तथा दोनों भूमियों का मूल्य भी बराबर है यही नहीं आवेदक की भूमि का रकबा उन्हें अदला-बदली में प्राप्त भूमि से अधिक है । अतः आवेदक ने अदला-बदली में अधिक भूमि दी है एवं कम भूमि ली है । दोनों पक्षकारों की अन्य भूमियां अदला-बदली की गई भूमियों के पास है अतः अदला-बदली से दोनों पक्षकारों को अपनी अन्य भूमि में काश्तकारी करने में सहूलियत है तथा अदला-बदली दोनों पक्षकारों को लाभकारी है । अदला-बदली से दोनों की भूमि एक चक हो जाती हैं ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर के द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई है, राजस्व अधिकारियों से प्रतिवेदन बुलाया गया । प्रतिवेदन की जांच पड़ताल उपरांत अदला-बदली आदेश पारित करने के पूर्व विधिवत प्रक्रिया अपनाकर एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अदला-बदली का आदेश पारित किया गया है, जो विधि अनुकूल है ।

R

उपरोक्त तर्कों के अलावा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क पर विशेष जोर दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति की गई थी अपर कलेक्टर को स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग करने की अधिकारिता नहीं थी । उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर महान भूल की गई है । स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग विहित समयावधि में नहीं किया गया बल्कि अत्यन्त ही विलंब से किया गया है । अतः केवल विलंब के आधार पर ही गुणदोषों पर विचार किए बिना निगरानी को निरस्त किया जाना था ।

उनका यह भी तर्क है कि धारा-3 परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई भी अपील, वाद या आवेदन पत्र समयावधि में है तब ही न्यायालय को उसका निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने का अधिकार है अन्यथा प्रकरण को केवल समयावधि में न होने से खारिज कर दिया जाना चाहिए ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों को अग्रसर करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक श्री कनौजिया ने दिनांक 16/12/86 को अपर आयुक्त के समक्ष अदला-बदली बावत शिकायत की है । श्री कनौजिया की इस शिकायत के प्रकरण दर्ज हुआ जो उनकी गैर हाजिरी में दिनांक 15/5/1987 का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी के रूप में प्रारंभ किया गया तथा स्वमेव निगरानी का उपयोग करने का आदेश दिनांक 22/4/88 को किया जाकर सूचनापत्र जारी किये गये । इस तरह से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24/6/1986 के संबंध में शिकायत दिनांक 16/12/1986 को प्राप्त हो गई । अतः अपर आयुक्त को आदेश दिनांक 24/6/1986 की जानकारी दिनांक 16/12/1986 को हो गई थी इस जानकारी के बावजूद भी उनके द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया एवं जानकारी दिनांक से स्वमेव निगरानी के अधिकारों के उपयोग का आदेश दिनांक 24/4/1988 यानि एक साल 10 माह के पश्चात किया । इस तरह से विहित समयावधि के अंदर स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया । विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं 2010 वॉल्यूम 4 एम.पी.एल.जे. 178 एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदक क्रमांक 1 श्री आर.पी. कनौजिया अधिवक्ता हैं, जिनका प्रकरण से या अदला-बदली की गई भूमियों से कोई

सरोकार नहीं है तथा उन्होंने अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए असत्य आधारों पर अदला-बदली के संबंध में शिकायत की है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 श्री आर.पी. कनौजिया का तर्क है कि परमानंद कोटवार था तथा उसे कोटवारी भूमि के रूप में उपरोक्त भूमियां दी गई थीं । अतः परमानंद को ऐसी सेवा भूमि की अदला-बदली करने का वैधानिक अधिकार नहीं था । उसके कब्जे में जो भूमि रही वह शासकीय रही । अतः शासकीय भूमि की अदला-बदली करने का अधिकार परमानंद को नहीं था ।

उनका यह भी तर्क है कि आवेदक ने राजस्व अधिकारियों से मिल-जुलकर अदला-बदली का आदेश पारित करा लेने में सफलता प्राप्त कर लिया है । जो भूमि आवेदक ने अदला-बदली में दी है वह उसके पास कहां से आई यह सिद्ध नहीं कर सके हैं । यह भी कहा गया कि जो न्यायदृष्टांत आवेदक द्वारा उद्धरित किए हैं उनके तथ्य अलग हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ का और मध्यप्रदेश का कानून अलग है ।

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1518/2001 में पारित आदेश दिनांक 19-9-07 के द्वारा किया गया है । अतः अतिरिक्त कमिश्नर के द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में विधि की कोई भूल नहीं की गई है ।

5/ जबाव में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 29587-29588/2008 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2011के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अदला-बदली के आदेश की वैधानिकता के संबंध में जो प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष लंबित है, उसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना गुणदोषों पर किया जाये । अतः उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किया जाना है । अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनदेखी की गई है । उनका यह भी तर्क है कि आलोच्य आदेश की कंडिका 5 से स्पष्ट है कि अतिरिक्त कमिश्नर के द्वारा आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर उसी आधार पर पारित किया गया है तथा प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर बिना कोई बोलता हुआ आदेश पारित किये बिना

प्रकरण का निराकरण किया गया है जबकि गुणदोषों के आधार पर कारण दर्शाते हुए बोलता हुआ आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पारित किया जाना चाहिए था ।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्को का समर्थन करते हुए निगरानी स्वीकार करने एवं अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

7/ मेरे द्वारा दोनों पक्षकारों तर्को का मनन किया गया तथा अभिलेख तथा उसमें उपलब्ध दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह प्रकरण भूमि की अदला-बदली से संबंधित है । सर्वप्रथम आवेदक की ओर से दिये गये इस तर्क पर कि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग विहित समयावधि में नहीं किया गया है, इस पर विचार किया जा रहा है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी से 180 दिन के भीतर किए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 24/6/1986 को पारित किया गया था । श्री कनौजिया, अधिवक्ता द्वारा अपर कमिश्नर के इस आदेश के संबंध में शिकायत दिनांक 16/12/1986 को अपर कमिश्नर को की गई थी । अतः अपर कमिश्नर को अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी दिनांक 16/12/1986 को हो चुकी थी । इसके पश्चात भी उन्होंने स्वमेव निगरानी के अधिकारिरों का उपयोग दिनांक 16/12/1986 से 180 दिन के अंदर नहीं किया गया एवं स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग करने का आदेश दिनांक 22/4/1988 को किया एवं 24/8/1988 को पक्षकारों को सूचना जारी करने का आदेश पारित किया । अतः स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में पारित आदेशों के विरूद्ध है । अतः अपर आयुक्त ने इस प्रकरण में स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग करने में विधि की भूल की गई है ।

8/ प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वर्ष 1909-10 की मिसल खसरा में कॉलम नं. 6 में मठोला का नाम दर्ज है तथा भूमि माफी खिदमती के रूप में दर्ज है । इसी तरह वर्ष 1909-10 के मिसल बंदोवस्त में भी मठोला के नाम पर भूमि दर्ज है तथा कॉलम नं. 6 में माफी खिदमती के रूप में दर्ज है । वर्ष 1954 के अधिकार अभिलेख में भी भूमि परमानंद आत्मज मठोला के नाम दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि भूमियां तत्कालीन मालगुजार के द्वारा मठोला को कोटवार होने के नाते ग्राम समुदाय कीसेवा के रूप में दी गई थीं । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रमाणित हो कि म0प्र0 मालगुजारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के प्रभावशील होने के पूर्व या पश्चात में तात्कालीन मालगुजार के द्वारा मठोला को जो भूमि ग्रामसमुदाय की सेवा के बदले में दी गई थी उसका कब्जा मठोला से प्राप्त कर लिया गया है । अतः मठोला का ही कब्जा उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं पश्चात रहा है । अतः म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार परमानंद को मौरूसी कृषक के हक प्राप्त होकर भूमिस्वामी हक प्राप्त हो गये । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में हेमचंद विरूद्ध सेठ रतनचंद 1957 एम.पी.एल.जे. पेज 418 को उद्धरित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1985 आर0एन0 227 (उच्च न्यायालय) गौरीशंकर चौबे विरूद्ध बख्तासिंह में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि " स्वामित्व स्वत्व (एस्टेट्स, महाल्स, एलीनेटेड लैण्डस) समाप्ति अधिनियम, 1950 (म.प्र.) - मालगुजार ने कोटवार को सेवा भूमि दी - कोटवार का लगातार कब्जा रहा, कोटवार मालगुजार का सेवक नहीं होता - निहित होने के दिनांक से वह शासन का मौरूसी काश्तकार है । जिसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोटवार शासन का मौरूसी काश्तकार नवीन संहिता लागू होने के समय हो गया था । मालगुजार द्वारा भूमि के पुर्नग्रहण हेतु नवीन संहिता की धारा 189 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत उसे भूमिस्वामी हक प्राप्त हो गये । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित आदेश दिनांक 08/5/2001 एवं रिट याचिका क्रमांक 2632/2000 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2001 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं । रिट याचिका क्रमांक - 2064/2000 में माननीच मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा दुर्ग जिले के 36 ऐसे कोटवारों को जिन्हें

मालगुजारों द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया है । इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2632/2000 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2001 के द्वारा 11 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है । प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों के आधार पर मेरे मत में परमानन्द को उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 132, 133/1 एवं 133/2 कुल रकबा 2.343 पर भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा वह उक्त भूमियों का भूमिस्वामी था । उक्त भूमि उसे शासन द्वारा प्रदान की जाना तथा उक्त भूमि सेवा भूमि होना प्रतीत नहीं होता है । प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 एवं 4 भूमि खसरा नं. 204/2, 205/3 एवं 211/2 कुल रकबा 2.428 हैक्टर के भूमिस्वामी हैं । अतः परमानन्द को अपने स्वामित्व एवं कब्जे की उपरोक्त विवादित भूमि को आवेदक के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि से अदला-बदली करने का का वैधानिक अधिकार था ।

9/ अपर कलेक्टर के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन बुलाया गया । नायब तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन बुलाया । आपत्तियां आमंत्रित की गई एवं इस हेतु उद्घोषणा जारी की गई एवं नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 17/4/1986 को स्थल निरीक्षण किया गया । नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा पक्षकारों के कथन भी अंकित किए हैं । अदला-बदली से उनकी भूमि एक चक बन जाने से खेती में सुधार एवं सुविधा होगी । दोनों भूमियां समान किस्म एवं कीमत की हैं । नायब तहसीलदार द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 01/5/1986 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनुमोदन पश्चात प्रतिवेदन कपर कलेक्टर को भेजा गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आदेश दिनांक 24-6-1986 के द्वारा भूमि की अदला-बदली का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि के अनुसार है जिसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । अपर कमिश्नर द्वारा बिना किसी वैधानिक आधारों के अपर कलेक्टर के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्रमांक

29587-29588/2008 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2011 जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अदला-बदली के आदेश की वैधानिकता के संबंध में जो प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष लंबित है, उसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना गुणदोषों पर किया जाये, को भी अनदेखा किया गया है । इस कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24/9/2015 निरस्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित भूमि की अदला-बदली का आदेश दिनांक 24/6/1986 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर